सत्य मार्ग की खोज, सीरीज -12

भ्रष्टाचार
उन्मूलन कैसे?

जमाअत इस्लामी हिन्द

दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, नई दिल्ली-110025

9650022638

www.islamsabkeliye.com

facebook.com/islamsabkeliyeofficial

भ्रष्टाचार उन्मूलन कैसे?

भ्रष्टाचार देश की मूल समस्या

वास्तव में देखा जाए तो भ्रष्टाचार भारत की ही समस्या नहीं, बल्कि सम्पूर्ण विश्व की गम्भीर समस्या है, जो दिन–प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है तथा आज की चकाचौंध में वह एक विशाल पेड़ का रूप धारण कर चुकी है। इसे एकदम से उखाड़ फेकना मुश्किल ही नहीं असम्भव है। क्योंकि वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति के ख़ून में यह रच बस गई है। इससे मुक्ति पाने के लिए समय–समय पर राष्ट्रीय नेताओं, समाजसेवियों, संत–महात्माओं और बुद्धिजीवियों ने भ्रष्टाचार का प्रसंग उठाकर इसके निवारण का उपाय करने का प्रयत्न किया, मगर उन्हें इसमें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई।

भ्रष्टाचार का एक बार स्वाद चखने के पश्चात् उससे छुटकारा पाना सरल नहीं होता क्योंकि जिसका एक बार पतन हो जाता है, फिर वह पतन की ओर गिरता ही चला जाता है।

क्या किसी ने यह जानने का प्रयास किया कि वर्तमान में जितने भी संगठन, चाहे वह सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक दल द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध आन्दोलन चलाते रहे हैं अथवा चला रहे हैं, उसमें ख़र्च होने वाला धन कहां से आता है? यदि उसके आन्दोलन के ख़र्चों का हिसाब ईमानदारी से किया जाए तो हम पाएंगे कि इन सभी आन्दोलनों में अधिकतर भ्रष्टाचारियों का धन ही ख़र्च हो रहा है, क्योंकि अधिकतर सामाजिक संगठन एवं राजनैतिक दल भी भ्रष्टाचारियों द्वारा दी गई भारी चन्दे की धनराशि पर निर्भर करते हैं?

सरकारी योजनाएं विफल क्यों?

वर्तमान में सम्पूर्ण राष्ट्र में शिक्षा–दीक्षा एवं चिकित्सा इतनी महंगी हो गई है कि राष्ट्र की 90 प्रतिशत जनता चिकित्सा के अभाव में दम तोड़ने को विवश है। केन्द्र सरकार के पास शिक्षा– दीक्षा व चिकित्सा के लिए योजनाएं एवं बजट भी बहुत है, परन्तु भ्रष्ट नेताओं एवं भ्रष्ट अधिकारियों के हाथों में आने के कारण दुखी–पीड़ित तथा असहाय लोगों तक सहूलतें न के

बराबर पहुंच पाती हैं। ऐसी स्थिति में जनता सरकारी सहायता से वंचित रह जाती है।

प्रायः देखने में यह भी आता है कि कोई भी निर्माण कार्य बिना सुविधा शुल्क दिए नहीं हो पाता, चाहे सरकारी कार्य हो अथवा ग़ैर–सरकारी। नागरिक यदि निजी निर्माण कार्य कराते हैं, तो निर्माण संबंधित अधिकारीगण तथा पुलिस वाले स्वयं मोटी धनराशि मांगने आ जाते हैं।

हम आज़ादी के बाद 68 सालों से ग़रीबी, साम्प्रदायिकता, जातिवाद और भ्रष्टाचार की ज़ंजीरों से देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हम इन ज़ंजीरों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं उतने ही ज़्यादा गहरे हम इस दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, हालांकि इन छह दशकों में देश की उन्नति व विकास के लिए किए गए प्रयासों में कुछ संतोष का पहलू भी है, जिसकी सराहना होनी चाहिए।

भ्रष्टाचार एक सामाजिक कैंसर

इन सब चीज़ों के बावजूद, ग़रीबी का संकट गहराता ही जा रहा है और भ्रष्टाचार[3] का राक्षस भयानक रूप धारण करता चला जा रहा है। इस बढ़ते हुए भ्रष्टाचार ने हमारे देश और भारतीय समाज के अस्तित्व ही को चुनौती देना शुरू कर दिया है। भारतीय समाज रूपी शरीर के हर अंग को भ्रष्टाचार के कैंसर ने प्रभावित कर दिया है। राजनीति, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं मीडिया हर क्षेत्र बुरी तरह भ्रष्टाचार की गिरफ़्त में आ चुका है। व्यक्ति के जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक हर क़दम पर भ्रष्टाचार का सामना होता है। जन्म प्रमाण पत्र लेना हो या मृत्यु प्रमाण पत्र लेना हो, अफ़सरों की सेवा किए बिना सम्भव नहीं होता। हज़ारों और लाखों रुपए की रिश्वत या घोटालों की तो कोई हैसियत ही नहीं रह गई है, अब तो विजय माल्या, निरव मोदी, पेगासिस जासूसी और अडानी से लेकर दिल्ली के शराब घोटाले लाखों–करोड़ रुपयों के हैं, जो एक तरफ़ हमारी ग़रीबी का मज़ाक़ उड़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ़ यह संदेश दे रहे हैं कि जहां इतने बड़े–बड़े घोटाले होते हों, वह देश ग़रीब कैसे कहला सकता है?

सख़्त क़ानून की ज़रूरत

भ्रष्टाचार एवं दूसरी बुराइयों और अपराधों को रोकने के

लिए जहां प्रभावी एवं सख़्त क़ानून की ज़रूरत है वहीं उन क़ानूनों को ईमानदारी एवं निष्पक्षता से लागू करने की दृढ़ इच्छाशक्ति की भी आवश्यकता है। क़ानून की अपनी सीमाएं होती हैं। केवल क़ानून से बुराई पूरी तरह नहीं रुक सकती। देश व समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना या ईमानदारी को एक अच्छी नीति के रूप में स्वीकारना, समाज में कुछ बेहतरी तो ला सकती है, मगर एक भ्रष्टाचार मुक्त, नैतिकता पर आधारित समाज बनाने में एक सीमा तक ही प्रभावी हो सकती है। आत्मानुशासन और अपनी अन्तरात्मा (ज़मीर) की आवाज़ का अनुसरण करने ही से नैतिकता पर आधारित समाज बन सकता है, इसकी पहुंच, क़ानून एवं समाज व देश द्वारा नैतिक दबाव की पहुंच से बहुत आगे है।

सोचने की बातें

आत्मानुशासन और ज़मीर की आवाज़ का अनुसरण तब ही संभव है जब हमारा इस बात पर विश्वास हो कि इस सारी सृष्टि को और हम सबको बनानेवाला, इस सृष्टि को चलानेवाला, हमारी परवरिश करनेवाला, बुद्धि–विवेक और सोचने–समझने की शक्ति देनेवाला एक ही ईश्वर है, वह न सिर्फ सर्वशक्तिमान है, बल्कि सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है। वह सबसे निरपेक्ष है और सब उसके मुहताज हैं। उस ईश्वर की न कोई सन्तान है और न वह किसी की सन्तान है और कोई उसका समकक्ष नहीं है। उस ईश्वर की दृष्टि से कोई छोटी से छोटी चीज़ भी छिपी नहीं है। यहां तक कि वह हमारे मस्तिष्क में उठने वाले विचारों, हमारी नियतों और इरादों तक से अच्छी तरह परिचित है, उस ईश्वर जैसा कोई और नहीं।

जिस समाज और देश में बुराई को बुराई नहीं समझा जाता हो, जनता की सम्पत्ति को अमानत (धरोहर) नहीं समझा जाता हो, जहां जवाबदेही और अपना जायज़ा लेने का काम नहीं होता, जहां क़ानून को लागू करने वाली एजेंसियां अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हैं, क्या वहां भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है?

यह हमारे देशवासियों का दुर्भाग्य है कि जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न विचारों और सिद्धान्तों को अपनाया और विभिन्न क़ानूनों और नियमों

का सहारा लिया, लेकिन ईश्वर, पालनहार के बनाए हुए क़ानून की ओर से मुंह फेर लिया। आईए देखते हैं कि सृष्टि के रचयिता और पालनहार ने भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए क्या मार्गदर्शन किया है और इसके बारे में इस्लामी शिक्षाएं क्या कहती हैं।

भ्रष्टाचार और इस्लामी शिक्षाएं

(1) इस्लाम ने धन–सम्पत्ति के लालच को इन्सानों के दिलों से निकाला और आवश्यकता से अधिक धन जमा करने की हवस व लालच को अनुचित बताया। कुरआन की सूरह (अध्याय) अत–तकासुर में है:

तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और एक–दूसरे से बढ़कर दुनिया प्राप्त करने की धुन ने धोखे में डाल रखा है यहां तक कि (इसी चिन्ता में) तुम क़ब्र के किनारे तक पहुंच जाते हो। (कुरआन 102:1–2)

(2) इस्लाम ने संतोष की शिक्षा दी है और फ़िज़ूलख़र्ची और दिखावे से बचने को कहा है। अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने इरशाद फ़रमाया :

मालदारी धन–सम्पत्ति की अधिकता का नाम नहीं है, बल्कि वास्तविक मालदारी संतोष है। (हदीस)

(3) इस्लाम अमानत और ईमानदारी पर बहुत ज़ोर देता है और कहता है जिसको भी संसार में कोई सत्ता या कोई पद मिला हुआ है उसे हर हाल में प्रलय में उसके प्रति उत्तरदायी ठहराया जाएगा। ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने इरशाद फ़रमाया :

तुम लोगों में से जिसको भी हम किसी काम का ज़िम्मेदार बनाएं फिर वह एक सुई या उससे भी छोटी कोई चीज़ हमसे छिपाए तो यह बेईमानी होगी और क़ियामत (प्रलय) के दिन वह उसे ज़रूर लेकर आएगा (इसकी सज़ा पाएगा) और जिस किसी को हम किसी काम पर लगाएं तो अपनी निर्धारित मज़दूरी के अलावा जो कुछ भी वह किसी भी रूप में लेगा वह बेईमानी होगी। (हदीस)

(4) इस्लाम रिश्वतख़ोरों, भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाज़ों को यह सूचना देता है कि प्रलय के दिन उनका अंजाम बहुत ही दुखद होगा। अल्लाह तआला कुरआन में फ़रमाता है:

और तुम लोग न तो आपस में एक–दूसरे के माल अवैध

रूप से खाओ और न अधिकारी व्यक्तियों के आगे उनको इस ग़रज़ से पेश करो कि तुम्हें दूसरों के माल का कोई हिस्सा जान–बूझकर अन्यायपूर्ण तरीक़े से खाने का अवसर मिल जाए। (कुरआन 2:188)

ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने इरशाद फ़रमाया: रिश्वत लेने और देने वाला दोनों नरक में जाएंगे। (हदीस)

ये चार ऐसे बुनियादी उसूल व सिद्धान्त हैं कि अगर इनका सच्चे दिल से पालन किया जाए, तो समाज और देश से भ्रष्टाचार का अन्त हो जाएगा। दुनिया में कोई क़ानून या कोई विचार ऐसा नहीं है जो इन्सान की अन्तरात्मा को सम्बोधित करता हो। विशेष रूप से ऐसे समय में जब हमारे देश के क़ानूनविद् किसी क़ानून के बनने से पहले ही उस क़ानून से बचने के उपाय निकाल लेते हैं।

भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए इस ओर ध्यान देना चाहिए कि मनुष्य की अन्तरात्मा को कैसे बदला जाए? कैसे लोगों को अपनी अन्तरात्मा की आवाज़ पर चलने के लिए तैयार किया जाए? लोगों में भलाई और बुराई, सत्य और असत्य में अन्तर करने की शक्ति कैसे उत्पन्न की जाए और इन्सान को अन्दर से इस प्रकार बदल दिया जाए कि वह अपने रचयिता और स्वामी की मर्ज़ी का पाबन्द हो जाए और संसार का लालच भी उसे अपने स्रष्टा व पालनहार के आज्ञापालन से रोक न सके। उसके अन्दर यह ईशभय पैदा हो जाए कि अगर वह बुरे कर्म और दुष्कर्मों में लिप्त होगा तो उसे कड़ा दण्ड मिलेगा और अगर वह सुकर्म करेगा तो ईश्वर द्वारा पुरस्कार और इनाम का पात्र होगा।

इतिहास के सुनहरे पृष्ठ

इतिहास में ऐसे लोग भी गुज़रे हैं, जिनकी ज़िन्दगियां हमारे सामने हों, तो आशा की जा सकती है कि हमारी आत्माओं तक में बसेरा किए हुए अंधेरे दूर हो सकते हैं और हम भ्रष्टाचार की इस अंधेरी खाई से सच्चाई और ईमानदारी के नूर (प्रकाश) से उज्ज्वल शाहराह (राजपथ) पर आ सकते हैं।

(1) मदीना की गलियां थीं, अंधेरी रात थी, हर ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सुबह होने ही वाली थी, घर के अन्दर से किसी मां की आवाज़ आ रही थी, "बेटी, उठ जा, उठ जा, सुबह हो रही है। उठ, जा दूध में पानी मिला दे!"

बेटी ने कहा, ''अम्मी यह तो गुनाह है! इस्लामी शासक हज़रत उमर (रज़ि॰) ने यह घोषणा करा दी है कि दूध में कोई मिलावट नहीं की जाएगी।''

मां ने कुछ ऊंचे स्वर में कहा, ''यहां कहां हैं हज़रत उमर (रज़ि॰)। उठ, जा दूध में पानी मिला दे।''

बेटी ने अदब से कहा, ''नहीं मां, हज़रत उमर (रज़ि॰) न सही, अल्लाह तो मौजूद है। हज़रत उमर (रज़ि॰) न देखें, वह तो देख रहा है!''

अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बातचीत के बाद भी क्या मां ने दूध में पानी मिलाने पर ज़ोर दिया होगा और रात के सन्नाटे में भी ख़ुदा को अपने घर में मौजूद होने का विश्वास रखनेवाली बेटी ने क्या दूध में पानी मिला दिया होगा?

नहीं, कदापि नहीं, इतिहास बताता है कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके साथ यह दिलचस्प घटना घटी कि अपनी जनता के दुख–सुख को जानने के उद्देश्य से मदीना की गलियों में गश्त लगाने वाले हज़रत उमर (रज़ि॰) ख़ुद ही गली में खड़े हुए मां–बेटी की यह बातचीत सुन रहे थे। वे मासूम बच्ची की ईमानी भावना और पाक चरित्र से इतने प्रभावित हुए कि उस लड़की को अपनी बहू बना लिया।

(2) यही इस्लामी शासक हज़रत उमर (रज़ि॰) मदीना की मस्जिदे नबवी में मुसलमानों को संबोधित कर रहे थे। मजमे से एक साहब उठे और कहा, ''हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, जब तक आप यह न बताएंगे कि आपने यह लंबा कुर्ता कैसे सिलवा लिया?'' अर्थात् राजकोष से तो हर एक मुसलमान को केवल एक– एक चादर बांटी गई थी, एक ही चादर आपको भी मिली थी और एक चादर में आप जैसे लंबे–चौड़े व्यक्ति के लिए कुर्ता तैयार होना संभव नहीं है।

हज़रत उमर (रज़ि॰) ने फ़रमाया ''इस आपत्ति का जवाब मेरे बेटे अब्दुल्लाह देंगे।''

बेटे ने खड़े होकर जवाब दिया कि, ''राजकोष से जो चादर मेरे हिस्से में आई थी वह मैंने अपने पिता को दे दी थी। (इस तरह से दो चादरें मिलाकर हज़रत उमर (रज़ि॰) का कुर्ता तैयार हुआ था) आपत्ति करने वाले व्यक्ति ने संतुष्ट होकर कहा कि ''ठीक है, अब हम आपका सम्बोधन सुनेंगे।''

(3) उन्हीं हज़रत उमर (रज़ि॰) की अगली नस्लों के एक सपूत हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह॰) भी इस्लामी शासक हुए, तो दिल की दुनिया और ज़िन्दगी की कैफियत बदल गई। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ सरकारी काम में व्यस्त थे कि सरकारी ख़ज़ाने की अमानत के तौर पर रखे हुए सेब के ढेर में से उनके छोटे–से मासूम बेटे ने एक सेब उठा लिया। बाप ने बेटे के हाथ से सेब लेकर अमानत में डाल दिया, तो बच्चा रोते हुए घर चला गया।

काम समाप्त करके जब वे ख़ुद घर पहुंचे, तो पत्नी ने शिकायत की कि आपने बेटे के हाथ से सेब छीन लिया और वह ख़ाली हाथ रोते हुए वापस आ गया। इस्लामी शासक ने कहा ''वह सेब सरकारी ख़ज़ाने की अमानत था। (उसकी सुरक्षा के हम ज़िम्मेदार थे।) बेटे को सेब चाहिए तो अपने पैसे से बाज़ार से ला देता हूं।''

ये छोटी–छोटी तीन ऐतिहासिक घटनाएं इस बड़ी सच्चाई की ओर इशारा कर रही हैं कि यदि अल्लाह, ईश्वर के होने पर पूरा ईमान हो, परलोक का यक़ीन और वहां हर छोटे–बड़े अच्छे और बुरे कर्मों की जवाबदेही और दण्ड व पुरस्कार का एहसास ताज़ा रहे, तो देश में मौजूद भ्रष्टाचार की मौजूदा स्थिति बाक़ी न रहेगी। जहां न ईश्वर का भय हो, न परलोक में जवाबदेही का एहसास, न दुनिया में जुर्म की सख़्त सज़ा की आशंका, वहां भ्रष्टाचार की नदियां बहने और बहाने से कैसे और किस तरह रोका जा सकता है? इसको मज़बूत आस्था और प्रभावशाली क़ानून और उसको बेलाग व स्पष्ट रूप से लागू करने से ही समाप्त किया जा सकता है।

क्या हम इसके लिए तैयार हैं?

***(सल्ल॰) : सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, अर्थात् उन पर अल्लाह की रहमत (दयालुता) और सलामती हो।**